न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार, आर.ए.एस.

अपील संख्या 21/2017

शांति देवी पत्नी मनीराम जाति मेघवाल निवासी 58 एनपी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर। ——अपीलांट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर। ——रेस्पोडेन्ट

अपील अर्न्तगत धारा 75 राज.भू.राजस्व अधि. 1956
विरूद्ध आदेश जिला कलक्टर श्रीगंगानगर दिनांक 02.02.2017

उपस्थितिः—
श्री राधेश्याम बिश्नोई , अभिभाषक अपीलांट
श्री वेदप्रकाश शर्मा राजकीय अधिवक्ता

निर्णय दिनांक :— 20.11.2017

अपीलांट द्वारा यह अपील जिला कलेक्टर श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 02.02.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की है जिसके द्वारा चक 2 आई डब्लू एम के प.न. 210/348 के मु.न. 50 के कि.न. 21/2—0202, 22/1—0.228,23/2—0. 228,24/2—0.228, 25/1—0.227 है. कुल 1.113 है0 भूमि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय 2 आई डब्लू एम (सरदारपुरा बीका) के खेल मैदान हेतु आवंटित की गई है।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपनी बहस में मुख्य रूप से अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विवादित भूमि चक 1 आई डब्लू एम की है परन्तु निर्णय में 2 आईडब्लूएम लिखा है इसलिए अपीलाधीन आदेश निरस्त योग्य है। विवादित भूमि पाठशाला से काफी दूरी पर है। अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व मौका की स्थिति की रिपोर्ट नहीं ली गई है। विवादित भूमि अपीलांट के पिता को आराजी काश्त पर आवंटित होती रही है बाद में पुख्ता आवंटन की गई हैं अपीलाधीन आदेश अपीलांट को पक्षकार बनाये एवं बिना सुने पारित किया गया हैं अपील पेश करने की अनुमति बाबत धारा 96 सीपीसी का

20/11/17
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

प्रार्थना पत्र पेश किया है जो स्वीकार कर अपील पेश करने की अनुमति प्रदान करते हुए अपील अपीलांट स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावें ।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलांट ने ऐसा कोई साक्ष्य पेश नहीं किया जिससे यह साबित होता हो कि विवादित भूमि अपीलांट या उसके पिता को पुख्ता आवंटित होती हैं विवादित भूमि रकबा राज का आवंटन स्कूल के खेल मैदान के लिये किया गया है जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। अतः अपील खारिज की जावें ।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया ।

अपीलांट ने अपील पेश करने की अनुमति बाबत धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र पेश कर जो तथ्य अंकित किये है उनको दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अपील अधी.न्यायालय श्रीमान जिला कलक्टर श्रीगंगानगर के निर्णय दिनांक 02.02.2017 के विरूद्ध पेश हुई है जिसमें राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय 2 आईडब्लूएम(सरदारपुरा बीका) के खेल मैदान हेतु आवंटित भूमि इस आधार पर निरस्त करने का अनुतोष चाहा कि यह भूमि अपीलांट को आवंटित की जाने की अपीलांट की पात्रता अपीलांट की होने से अपीलाधीन आदेश निरस्त करने का अनुतोष चाहा ।

अधी.न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया । अपीलाधीन आदेश का Text है कि"कार्यालय जिला कलक्टर श्रीगंगानगर कमांक–एफ 12 (3) (91) राजस्व/16/725 दिनांक 02.02.2017 आदेश– उपखंड अधिकारी रायसिंहनगर के पत्र कमांक राजस्व/16/958 दिनांक 26.07.2016 के द्वारा प्रस्ताव अनुसार राजस्थन भू–राजस्व अधिनियम 1956 के नियम 102 के अन्तर्गत लोकोउपयोगी प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन के लिये बनाई गई 1963 की शर्तो में प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए 2 आई डब्लू एम तहसील रायसिंहनगर के प.न. 210/348 के मु.न. 50 के कि.न. 21/2–0202, 22/1–0.228, 23/2–0.228, 24/2–0.228, 25/1–0.227 है. कुल 1.113 है0 अनकमाण्ड रकबा भूमि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय 2 आई डब्लू एम (सरदारपुरा बीका) के खेल मैदान हेतु निम्न शर्तो पर आवंटित की जाती है–1. आवंटन सरकारी है । अतः आवंटन निःशुल्क किया

20/4/17

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

जाता है। 2. आवंटित भूमि पर भवन का निर्माण होने पर कोई भी प्रमियम अथवा नगरीय कर–निर्धारण/प्रस्तावति नहीं किया जायेगा । 3. जिस प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन किया है उसी प्रयोजन के लिए उसका उपयोग किया जायेगा। 4. सम्पति के अधिकारी सरकार में निहित होगे । नियमानुसार रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे । जिला कलक्टर श्रीगंगानगर ।

यह आवंटन उपखंड अधिकारी रायसिंहनगर की अभिशंषा दिनांक 26.7.2016 पर किया गया है अभिशंषा का प्रारूप है कि "कार्यालय उपखंड अधिकारी रायसिंहनगर कमांक/राजस्व/16/958 दिनांक 19/27.07.2016, श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, श्रीगंगानगर, विषय–रा.उ.मा.वि. 2 आई डब्लू एम (सरदारपुराबीका) के खेल मैदान हेतु रकबा राज भूमि आरक्षित करने बाबत । महोदय, उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार रायसिंहनगर के पत्र कमांक/भू.अ./2016/2828 दिनांक 13.07.2016 के सरपंच के द्वारा दिनांक 05.05.2016 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रा.उ.मा.वि. 2 आई डब्लू एम (सरदारपुरा बीका) के खेल मैदान हेतु चक 1 आई डब्लू एम के प.न. 210/348 के कि.न. 21 से 25 रकबा 1.113 है0 आराजी राज भूमि आवंटन करने हेतु निवेदन किया है। मुताबिक रिपोर्ट पटवारी हल्का चक 1 आई डब्लू एम के प. न. 210/348 मु.न. 50 के कि.ल. 21/2 का .202, 22/1 का .228, 23/2 का .228, 24/2 का .228, 25/1 का .227 कुल रकबा 1.113 है0 अनकमाण्ड भूमि आराजी राज दर्ज राजस्व रिकार्ड है। नकल जमाबंदी संलग्न पत्र हैं । उक्त प्रस्तावित भूमि पर किसी न्यायालय का विवाद/स्थगन आदि नहीं है तथा न ही किसी अन्य सार्वजनिक कार्य तथा विशेष आवंटन हेतु आरक्षित नहीं हैं। अतः उक्त प्रस्तावित रकबा रा.उ.मा.वि. 2 आई डब्लू एम (सरदारपुरा बीका) को खेल मैदान हेतु आरक्षित करने की अभिशंषा की जाती है। निर्धारित प्रपत्र रिपोर्ट पटवारी हल्का/प्रस्ताव ग्राम पंचायत तथा प्रस्ताव रा.उ.मा.वि. 2 आई डब्लू एम (सरदारपुरा बीका) संलग्न रिपोर्ट कर श्रीमान जी को अवलोकनार्थ व आगामी उचित कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है। संलग्न उक्तानुसार भवदीय उपखंड अधिकारी रायसिंहनगर "।

20/11/17

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

आवंटन विधिवत रूप से रा.उ.मा.वि. 2 आईडब्लू एम की मांग पश्चात के प्रस्ताव तहसीलदार व उपखंड अधिकारी की रिपोर्ट अनुसार शुद्ध रकबा राज कब्जा रहित भूमि का आवंटन खेल मैदान के लिए किया गया है जिसमें अपीलांट की कोई विधिक Locus-standai नहीं होने से अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 20.11.2017 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रेमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर